<u>**2022 का विधेयक सं.12**</u>

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 331 का अंत:स्थापन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की विद्यमान धारा 330 के पश्चात् और विद्यमान धारा 332 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**331. आयोग से परामर्श.**- (1) धारा 332 और धारा 333 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से, जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है, संविधान के अधीन उसके अपने कृत्यों के अतिरिक्त-

(क) सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों से संबंधित सभी मामलों पर, और

(ख) सेवा के सदस्यों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामलों पर,

परामर्श किया जायेगा।

(2) आयोग का उप-धारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किसी भी मामले पर सलाह देने का कर्तव्य होगा।

(3) आयोग का यह भी कर्तव्य होगा कि वह सेवा में या किसी श्रेणी या उसके प्रवर्ग में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं, यदि आवश्यक हों, संचालित कराये।

(4) आयोग, संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) के अधीन प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस धारा के अधीन सेवा के संबंध में आयोग द्वारा किये गये कार्य के बारे में एक रिपोर्ट सम्मिलित और समाविष्ट करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट पर उक्त अनुच्छेद के उक्त खण्ड में यथा उपबंधित कार्यवाही की जायेगी।

(5) उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार सेवा में के अत्यावश्यक आधार पर भरे जाने के लिए अपेक्षित पदों के लिए परीक्षाएं संचालित कराने हेतु किसी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी की सेवाएं ले सकेगी।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए, शब्द "सेवा" से धारा 332 और धारा 333 में यथा विनिर्दिष्ट सेवाएं अभिप्रेत हैं।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में, राजस्थान नगरपालिक (प्रशासनिक और तकनीकी) सेवा के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन गठित राज्य स्तरीय आयोग द्वारा किया जाता है। पूर्वोक्त सेवा में के विभिन्न प्रवर्गों और श्रेणियों के पदों की अधिक संख्या तथा सेवा में के विभिन्न पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने उक्त नगरपालिक सेवा के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्तियां करने हेतु परीक्षा संचालित करने का कर्तव्य राजस्थान लोक सेवा आयोग पर अधिरोपित करने का प्रशासनिक विनिश्चय किया है। इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि उक्त आयोग परीक्षा संचालित करेगा तथा सेवा में नियुक्तियों से संबंधित समस्त मामलों पर और सेवा के सदस्यों को प्रभावित करने वाले अनुशासनिक मामलों पर सलाह देगा।

तदनुसार, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) में एक नयी धारा 331 अंत:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

Bill No.12 of 2022

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of new section 331, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After the existing section 330 and before the existing section 332 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), the following new section shall be inserted, namely:-

"**331.Consultation with Commission.-** (1) As respects the services specified in section 332 and section 333, the State Public Service Commission, hereinafter referred to as the Commission, shall in addition to its functions under the Constitution, be consulted-

(a) on all matters relating to appointments to the Service by direct recruitment, and

(b) on all disciplinary matters affecting the members of the Service.

(2) It shall be the duty of the Commission to advise on any matter referred to it under sub-section (1).

(3) It shall also be the duty of the Commission to conduct examinations, if necessary, for appointments to the Service or to any grade or category thereof.

(4) The Commission shall include and embody, in its report presented under clause (2) of Article 323 of the Constitution, a report as to the work done by the Commission in relation to Service under this section and such report shall be dealt with as provided in the said clause of the said Article.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), the State Government may engage other authority or agency to conduct examinations for the posts in the Service required to be filled on urgent basis.

Explanation: For the purpose of this section, the word “Service” means services as specified in section 332 and section 333.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently, selection of candidates for appointments to the direct recruitment posts of the Rajasthan Municipal (Administrative and Technical) Service is made by a State Level Commission constituted under the provisions of the concerned service rules. Looking to the considerable strength of the posts of various categories and grades in the aforesaid service and need of fair and transparent recruitment process in the selection of suitable candidates on various posts in the service, the State Government has taken an administrative decision to cast the duty of conducting examination for appointments to the direct recruitment posts of the said Municipal Service upon the Rajasthan Public Service Commission. Therefore, it has been proposed that the said Commission shall conduct examination and advise on all matters relating to appointment to the service and disciplinary matters affecting the members of the service.

Accordingly, a new section 331 is proposed to be inserted in the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009).

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

Bill No.12 of 2022

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Secretary.

(Shanti Kumar Dhariwal, **Minister-Incharge**)

2022 का विधेयक सं.12

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
सचिव।

(शान्ती कुमार धारीवाल, **प्रभारी मंत्री)**